65 वी बोर्ड बैठक
दिनांक - 19-06-2002
का
कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.6.2002 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण [illegible] की 65वीं [illegible] दिनांक 19.06.2002 [illegible] विकास प्राधिकरण के सभागार में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 12.00 बजे प्रारम्भ हुई। [illegible] सचिव [illegible] बोर्ड के [illegible] सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री एन०एस०रवि [illegible]
   आयुक्त
   मेरठ मण्डल, मेरठ। — अध्यक्ष

2. श्री [illegible] सिंह [illegible]
   उपाध्यक्ष
   मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। — उपाध्यक्ष

3. श्री पी०वी०जगनमोहन
   जिलाधिकारी, मेरठ। — सदस्य

4. श्री बिशन सिंह
   अपर निदेशक (उद्योग), मेरठ। — सदस्य

5. श्री आर.पी.अरोरा
   मुख्य नगर अधिकारी
   नगर निगम, मेरठ। — सदस्य

6. श्री शेर सिंह
   सहायक सहयुक्त नियोजक — [illegible]
   प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, [illegible]
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 19.6.2002 का कार्यवृत

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 65वीं बैठक दिनॉक 19.6.2002 को मेरठ विकास प्राधिकरण के सभागार में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 12.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखत अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे:–

1.	श्री एन0एस0रवि आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2.	श्री चोब सिंह वर्मा उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3.	श्री पी0वी0जगनमोहन जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4.	श्री बिशन सिंह अपर निदेशक (उद्योग), मेरठ।	सदस्य
5.	श्री आर.पी.अरोरा मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री शेर सिंह सहायक सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ)	सदस्य
7.	श्री आर0के0सिंह उप निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ। (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव(वित्त)उ0प्र0शासन, लखनऊ)	सदस्य

8. श्री बी0के0अग्रवाल
अधीक्षणअभियन्ता
जलनिगम, मेरठ। — सदस्य
(प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0शासन लखनऊ)

9. श्री टी.एल.महाजन
सी.ए. — विशेष आमंत्री

10. श्री राजकुमार सिंह, सभासद, नगर निगम, मेरठ। — सदस्य

11. श्री मंगल सैन, सभासद, नगर निगम, मेरठ। — सदस्य

12. श्री मौहम्मद जाहिद अंसारी, सभासद, नगर निगम, मेरठ। — सदस्य

13. श्री मौहम्मद अब्बास, सभासद, नगर निगम, मेरठ। — सदस्य

14. श्री अनिल राज कुमार,
सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ — संयोजक

(एन० एस० रवि)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल मेरठ

मद संख्या – 1

प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.3.2002 के कार्यवृत की पुष्टि।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.3.2002 के कार्यवृत की पुष्टि की गयी।

मद संख्या – 2

प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15–3–2001 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.3.2002 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या की स्थिति से सचिव द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया।

अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों द्वारा यह बात रखी गयी कि सभी मदों में अनुपालन पूर्ण रुप से अभी नहीं हुआ है। जिन मदों में अभी अनुपालन शेष है उसके सम्बन्ध में लिये गये निर्णय निम्नवत हैं :–

मद संख्या–2 के सम्बन्ध में नगर निगम के सभासद/सदस्य–बोर्ड श्री राजकुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम काजीपुर में विद्युत एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि विस्तृत कार्य योजना तैयार करके बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्णय लिया गयाकि जिन गॉवो की भूमि अर्जित की गयी है उन गॉवों में विकास कार्य करने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाये जिसे अगली बोर्ड बैठक में रखा जाये। कार्य योजना के अनुसार डूडा, नगर निगम के साथ समन्वय (डवटेलिंग) कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या – 3 के सम्बन्ध में नगर निगम के सभासद/सदस्य–बोर्ड श्री मंगलसैन द्वारा जानकारी चाही गयी कि अनाधिकृत रुप से निर्मित बरातघर/विवाह मण्डप जिस–जिस अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के कार्यकाल में बने हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, इसकी जानकारी दी जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओ के नाम चिन्हित करके उनकी सूची एक सप्ताह में उन्हें उपलब्ध करायी जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आश्य के भी निर्देश दिये गये कि अनाधिकृत निर्माणों के लिये सम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ–साथ सम्बन्धित जोन प्रभारी/सहायक अभियन्ता भी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी माने जायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत रुप से चल रहे बारातघरों एवं विवाह मण्डपों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही एकाध मामले में प्रभावशाली (एक्जेम्पलरी) ढंग से की जाये। जिलाधिकारी का सुझाव था कि जिन अनाधिकृत बारातघरों/विवाह मण्डपों से ट्रैफिक एवं लॉ एन्ड आर्डर की समस्यायें उत्पन्न होती है पहले उनमें ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देशित किया कि औद्योगिक आस्थानों में बन रहे या चल रहे बारातघरों/विवाह मण्डपों के बारे में सूचना अपर निदेशक (उद्योग) को भी भेज दी जाये।

मद संख्या – 15 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासन को अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ मण्डल की ओर से अनुस्मारक भेजा जाये।

मद संख्या – 27 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत रुप से बन रही तथा चिन्हित 69 कालोनियों की सूची अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध करायी जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनी बननी शुरु होगी उसके खिलाफ कार्यवाही भी तत्काल की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में गठित समिति को नियमित रुप से एक्टिवेट कियाजाये व इसके सहयोग से कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में प्रगति आख्या एक माह में अध्यक्ष महोदय को भेजी जाये।

हुमायूँ नगर के नाम से बन रही कालोनी के तत्काल ध्वस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया। भविष्य में मास्टर प्लान/भूउपयोग के विरुद्ध किसी कालोनी का निर्माण कार्य होता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये तथा उत्तरदायी [illegible] प्रभावी [illegible]

[illegible]

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के बाद अनुपालन आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या – 3

बर्ष 2001–2002 का वास्तविक एवं बर्ष 2002–2003 का प्रस्तावित आय–व्ययक का अनुमोदन।

बर्ष 2001–02 का वास्तविक एवं आय–व्ययक बर्ष 2002–2003 विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त बिना किसी संशोधन के सर्वसम्मति से पारित किये गये। चर्चा के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

क– मलवा शुल्क के मद में ली गयी वह धनराशि नगर निगम को दे दी जाये जो प्राधिकरण की अपनी हस्तान्तरित कालोनियों से सम्बन्धित नहीं है।

ख– प्राधिकरण अपनी किसी एक कालोनी का सफाई कार्य ग्रेटर नौयडा की तर्ज पर, ठेके पर प्रयोगात्मक रुप से कराया जाये और यदि इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते है तो धीरे–धीरे अन्य योजनाओं में भी इसे लागू किया जाये।

ग– 250 सोडियम लाईटों की स्वीकृति आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता वाली आगामी बैठक में ले ली जाये। अध्यक्ष महोदय सोडियम कहॉ कहॉ लगनी हैं स्वयं उपाध्यक्ष/मुख्य नगर अधिकारी के साथ चर्चा कर बाद में निर्णय ले लेंगे।

सचिव

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

(एन० एस० रवि)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल मेरठ.

मद संख्या – 4

अन्य बिषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त मद के रुप निम्नलिखित बिषय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया :–

अतिरिक्त मद संख्या – 1

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में अर्जित भूमि का योजनावार, जिस–जिस उददेश्य के लिये उपयोग निर्धारित किया गया है, का विवरण।

चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह प्रकरण महत्वपूर्ण हैं जिसके लिये काफी समय की आवश्यकता होगी इसलिए इस पर अलग से विस्तार से चर्चा करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय तथा अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

सचिव
विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

(एन० एस० रवि)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल मेरठ।